

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 22/01/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्य अभियंता, देवघर प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रमंडलों को नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण कार्य हेतु रु. 120.124 लाख (एक करोड़ बीस लाख बारह हजार चार सौ मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-05/19-20, प्र.स्वी., दिनांक-18.06.2019 Online AA-798/28.06.19 एवं 28/19-20, प्र.स्वी., दिनांक-26.08.2019 Online AA-1246/28.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण	05-निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S471101789580545	120.124

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बीस लाख बारह हजार चार सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध रु. 730.00 लाख (रु. सात करोड़ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-2341, दिनांक-04.12.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजटीय उपबंध की राशि के 75% के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने प्रक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

22/01/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

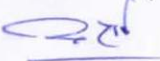

(प्रशांत कुमार)
सचिव

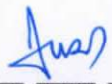
ज्ञापांक :- 195 राँची, दिनांक :- 22/01/21
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/राजमहल/पाकुड़/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 195 राँची, दिनांक :- 22/01/21
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....

195

दिनांक 22/01/21

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पैंजीगत परियध्य

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S471101789580545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध रू. 730.00 लाख (रू. सात करोड़ तीस लाख) मात्र।

राशि लाख रुपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			योजना पर कुल आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा (RJMAR001)	देवघर	बड़ा पुरुलिया डोंगा ग्राम में मरिजाद के सामने बायें तटबंध पर सीढ़ी घाट के D/S में 190 मी. लम्बाई से बोल्टर क्रैटिंग कार्य।	05/19-20 दिनांक-18.06.2019 Online AA-798/28.06.19	86.380	0.000	41.330	39.350	80.680	80.680	69654	
			हरिहरा पंचायत के महेशघाटी ग्राम में सीढ़ी घाट के समीप गुमान्नी नदी के बायें तटबंध पर 180 मी. में बोल्टर क्रैटिंग कार्य।		87.230	0.000	78.115	7.330	85.445	85.445		
			हरतीपाड़ा पंचायत हाजी इरफान के घर से धोपा तथा सेताबुद्दीन के घर तक दायें तटबंध पर 220 मी. में बोल्टर क्रैटिंग कार्य।		111.670	0.000	99.587	1.350	100.937	100.937		
			मधुवापाड़ा पंचायत के बड़ा चाँदपुर ग्राम में स्व. नजरूल इस्लाम के घर के सामने गुमान्नी नदी के बायें तटबंध पर 125 मी. में बोल्टर क्रैटिंग कार्य।		59.990	0.000	53.721	1.850	55.571	55.571		
			योग		272.753	49.880	322.633	322.633				
2	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRAR001)	देवघर	झिक्झाटी (पु) इस्लामपुर में बदरूल के घर के पीछे मसना नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य।	28/19-20 दिनांक-26.08.2019 Online AA-1246/28.08.19	61.670	0.000	23.440	31.220	54.660	54.660	69657	
			पंचायत तारानगर प्रखण्ड पाकुड़ में तोराई नदी किनारे ग्रामीण सड़क एवं घरों में कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य।		81.390	0.000	33.290	18.340	51.630	51.630		
			योग		56.730	49.560	106.290	106.290				

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध रू. 730.00 लाख (रू. सात करोड़ तीस लाख) मात्र।

राशि लाख रुपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महगामा (GDDARR001)	देवधर	गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दर नदी के बायें तट पर ग्राम मोकलतक, प्रखण्ड बसतराय के पास हो रहे कटाव की संकथाम हेतु।	28/19-20 दिनांक- 26.08.2019 Online AA- 1246/28.08.19	255.480	0.000	0.000	20.684	20.684	20.684	69658	
योग						0.000	0.000	20.684	20.684	20.684		
कुल योग						329.483	120.124	449.607	449.607			

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बीस लाख बारह हजार चार सौ मात्र।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव


(प्रशांत कुमार)
सचिव

195
22/01/21